संख्या-219/2023/।/356828/2023/23-11099(099)/59/2023

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: 26/07/2023**

विषय:- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिन्हित कुल 567 ब्लैक स्पॉट्स का आई0आई0टी0 दिल्ली व आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 से सेफ्टी आडिट कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-204/01-ब्लैक स्पॉट-ऑडिट (आगणन)/2023-24, दिनांक 17-04-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई तकनीकी का अंगीकरण एवं अध्ययन, नवीन तकनीकी की परियोजना का गठन/पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन आदि हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिन्हित कुल 567 ब्लैक स्पॉट्स का आई0आई0टी0 दिल्ली व आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 से सेफ्टी आडिट का कार्य कराये जाने की आंकलित कुल लागत रू0 96.13 लाख (रू0 छियान्बे लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि रू0 96.13 लाख (रू0 छियान्बे लाख तेरह हजार मात्र) अवमुक्त किए जाने की निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	संस्था	मण्डल (जिनके अन्तर्गत ब्लैक स्पॉट का ऑडिट कराया जाना है)	कुल ब्लैक स्पॉट	प्रति ब्लैक स्पॉट लागत (जी0एस0टी0 सहित) रू0 में	प्रस्ताव की लागत (जी0एस0टी0 सहित) रू0 में	अवमुक्त धनराशि लाख रू0 में
1	2	3	4	5	6	7
1	आई0आई0टी0 दिल्ली	आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर	321	16954.00	54,42,234.00	96.13
2	आई0आई0टी0 बी0एच0यू0	अयोध्या, कानपुर, आजमगढ, गोण्डा, बांदा, बस्ती, मीरजापुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी	246	16954.00	41,70,684.00	
योग			567		96,12,918.00	96.13
				Say	96.13 Lakh	

नियम,शर्ते/प्रतिबन्ध

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

7- प्रस्तावित मात्राओं को कार्य के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

8- प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार भुगतान की जायेगी। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों मे जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

9- प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 मे निहित प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 96,13,000(रूपये छयान्बे लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000700 नई तकनीकी का अंगीकरण एवं अध्ययन, नवीन तकनीकी की परियोजना का गठन/पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन इत्यादि हेतु व्यवस्था मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-51-X-2023-24 दिनांक: 15-5-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।